


1 (127) निकां 865/2019/सीपी/एच-एच

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा (म0प्र0)



1. ओमप्रकाश तनय बृजराज पाण्डेय
2. अमृतलाल पाण्डेय तनय बृजराज पाण्डेय
3. बृजराज प्रसाद तनय स्व0 चक्रदर्शन प्रसाद पाण्डेय

तीनों निवासी ग्राम तिवरिगवां (बूसी) तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

निरंजनलाल तनय स्व0 चक्रदर्शन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम तिवरिगवां (बूसी) तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0

.....अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई. विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 (श्री बी0एस0 कुलेस) पुनरवलोकन प्रकरण क्रमांक 14/पुनर्विलोकन/ 18-20में पारित आदेश दिनांक 20/05/2019

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य-

(अ) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा क्रमांक 81,83,84,90,78,91 व 102 कुल 7 किता कुल रक्वा 3.92एकड़ स्थित ग्राम कनछेन तहसील चुरहट जिला सीधी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 के आदेश दिनांक 25/06/1992 के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। उक्त भूमियों के संबंध में अनावेदक के द्वारा स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार वाद दायर किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 197ए/10 है, जिसके संबंध में 30/10/2013 को आदेश पारित किया गया और स्वत्व का दावा अनावेदक का खारिज कर दिया गया। किन्तु उक्त

MPZ

127

182

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./0865/19/सीधी/भू.रा.

ओमप्रकाश आदि विरुद्ध निरंजन लाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-19 श्रीला	<p>आवेदकगण अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र मिश्रा उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य कोई ठोस आधार नहीं होने से यह प्रकरण अग्रहण किया जाता है।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	